महोदय

आवेदक पवन कुमार मिश्र पुत्र कि०आ० मिश्र निवासी 32 काजीपुर नैनी तहसील करछना जिला प्रयागराज द्वारा ग्राम कचोल स्थित अपनी भूमिधरी भूमि गाटा सं० 503 रकबा 1.141 हे० अकृषक घोषित किये जाने हेतु उ०प्र०राजस्व संहिता की धारा 80(1) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अभिलेखीय एवं स्थलीय जाँच आख्या निम्नवत है।

ग्राम कचोल की अभिलेख खतौनी फ० 1426-1431 की खाता संख्या 3 नपर गाटा सं० 503 रकबा 1.141 हे० आवेदक पवन कुमार मिश्र पुत्र कि०आ० मिश्र के नाम पंजीकृत बैनामा संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उक्त आराजी पर रकबा 0.2280 पर विद्यालय भवन निर्मित है तथा शेष रकबा खेलकूद मैदान व अन्य प्रयोजनार्थ हेतु खाली है। उक्त रकबा 1.141 हे० पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य, मत्स्यपालन कुक्कुट पालन नही किया जाता है। 1% स्टांप शुल्क व 1% उद्घोषणा शुल्क देय है जिसकी मालियत 2282000 रु० होगी। जिसमे 1% स्टाम्प शुल्क 22820 रु० लगेगा व 1% उद्घोषणा शुल्क 22820 का लगेगा।
अतः ग्राम कचोल की स्थित गाटा सं० 503 रकबा 1.141 हे० अकृषक। लगान मुक्त किये जाने हेतु आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

हस्ताक्षर
04/6/22
कचोल
करछना

महोदय,

आख्यानुसार ग्राम कचोल स्थित गाटा सं० 503/1.141हे० अकृषक घोषित किये जाने हेतु आख्या सादर प्रेषित है। उद्घोषणा शुल्क एवं स्टांप शुल्क देय है।

हस्ताक्षर
06/6/2022
आशुतोष पाण्डेय
राजस्व निरीक्षक
क्षे० कोराव जिला प्रयागराज

प० 465/R
न्यायालय में प्रस्तुत
हस्ताक्षर
08/6/22

विशाल कुमार शर्मा
तहसीलदार
करछना - प्रयागराज

## आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील :कोरांव
वाद संख्या :-811/2023
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202302030900811
जय बजरंग बली सेवा संस्थान ट्रस्ट काजीपुर नैनी प्रयागराज ट्रस्टी पवन कुमार मिश्र बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

---

वादी के उक्त भू भाग रकबा 0.114हे0 भूमि को उ0प्र0रा0संहिता की धारा 80(1) के तहत और रकबा 1.027हे0 80(2)उ0प्र0रा0संहिता की धारा के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

**<u>आदेश</u>**

अतः वर्णित तथ्यों तथा हल्का लेखपाल/राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार बडोखर एवं तहसीलदार कोरांव की जांच रिपोर्ट के आधार पर मौजा बघोल परगना खैरागढ तहसील कोरांव जनपद प्रयागराज की खतौनी फसली वर्ष 1426-1431फ0 के खाता संख्या 301 की आराजी संख्या 503 सम्पूर्ण रकबा 0.684हे0 व गाटा संख्या 503 रकबा 0.457हे0 कुल रकबा 1.1410हे0 उक्त भू भाग रकबा 0.114हे0 भूमि को उ0प्र0रा0संहिता की धारा 80(1) के तहत और रकबा 1.027हे0 80(2)उ0प्र0रा0संहिता की धारा के अन्तर्गत की भूमि वादी पवन कुमार मिश्र पुत्र किण्ठमनि मिश्र नि0ग्राम 82 काजीपुर नैनी ट्रस्टी बंजरग बली सेवा संस्थान ट्रस्ट काजीपुर नैनी प्रयागराज, तहसील कोरांव प्रयागराज के अंश को अकृषिक/लगान मुक्त घोषित किया जाता है। यह अमलदरामद वर्षानुवर्ष खतौनी में अंकित होती रहेगी। यह आदेश/घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की गई है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नही पडेगा। यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि कार्य/मत्स्य पालन, पशु पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य किया जाता है अथवा सार्वजनिक व्यवस्था स्वास्थ्य सुरक्षा आवासिय प्रयोजन से भिन्न प्रयोग में लाया जाता है, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी/शून्य हो जायेगा। धारा-82 राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत तहसीलदार कोरांव तत्काल अपनी आख्या आर0सी0 प्रपत्र 26 पर प्रस्तुत करेगें। आदेश की एक प्रति तहसीलदार/उपनिबन्धक कोरांव को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(शुभम)
उप जिलाधिकारी
कोरांव प्रयागराज

पृष्ठ संख्या :